न्यायालय कलेक्टर, जिला पन्ना (मध्यप्रदेश)

क्रमांक/ 923 /रीडर/2005 पन्ना, दिनांक 26-12-05 27-3-06

प्रति, 380 विविध 879 /III/06

सचिव,
राजस्व मण्डल म0प्र0
ग्वालियर ।

R 82824 5/5/06

विषय:- म0प्र0भू0रा0संहिता 1959 की धारा 51 के अन्तर्गत पुर्नविलोकन की अनुमति बावत ।

क्रमांक........
रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज
दिनांक 5.5.06 को प्राप्त

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश 1228 5/5/06

विषयान्तर्गत आवेदिका श्रीमती भवानीवाई पत्नी देवी सिंह यादव निवासी ग्राम पगरा तहसील गुनौर जिला पन्ना म0प्र0 ने अपर कलेक्टर पन्ना के प्रकरण क्रमांक 105/स्वमेव निगरानी/2003-2004 मे पारित आदेश 28.2.2004 के विरूद्ध अपर कलेक्टर पन्ना के ही न्यायालय मे म0प्र0भू0रा0संहिता 1959 की धारा 51/32 के तहत पुर्नविलोकन हेतु आवेदन पत्र पेश किया गया था ।

2. आवेदक व्दारा प्रकरण क्रमांक 105/स्वमेव निगरानी/03-04 मे पारित आदेश दिनांक 28.2.2004 मे उसी पीठासीन अधिकारी के समक्ष धारा 51 पुर्नविलोकन आवेदन पेश किया था, और पीठासीन अधिकारी का स्थानांतरण हो जाने के वाद तत्कालीन पीठासीन अधिकारी व्दारा पुर्नविलोकन सुनने का के पश्चात निरस्त किया गया है, जबकि विधि अनुसार पुर्नविलोकन आवेदन सुनने का अधिकार उसी सक्षम अधिकारी को है, जिसके व्दारा आदेश पारित किया गया है ।

3. आवेदिका व्दारा पुर्नविलोकन आवेदन पत्र मे लेख किया गया था कि वादग्रस्त भूमि पर 2 अक्टूवर 1984 को कब्जा था, जिसका समर्थन पटवारी प्रतिवेदन से होता है, लेकिन उक्त विन्दू पर विचार नही किया गया है जिस पर विचार करने के पश्चात आदेश पारित किया जाना आवश्यक था ।

अतएवं अपर कलेक्टर पन्ना के रा.प्र.क्र. 01/पुर्नविलोकन/04-05 मे पुर्नः सुनवाई हेतु म0प्र0भू0रा0संहिता 1959 की धारा 51 के तहत अनुमति हेतु सादर सम्प्रेषित है ।

संलग्न :- अपर कलेक्टर पन्ना का प्र.क्र. 01/04-05 मे पारित आदेश 27.7.05
2. कलेक्टर पन्ना का प्र.क्र. / /05-06

कलेक्टर
जिला पन्ना म0प्र0

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक मिस0 879–दो/06 **जिला** –पन्ना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभा आदि के हस्ताक्षर
4.01.2016	आवेदक शासन के पैनल अधिवक्ता श्री अनिल श्रीवास्तव उपस्थित । अनावेदिका की ओर से श्री ओ0 पी0 शर्मा उपस्थित । उभयपक्ष के तर्क श्रवण किये । 2– प्रकरण में उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्क सुने गये एवं अभिलेखों का परिशीलन किया गया । अपर कलेक्टर पन्ना द्वारा उनके प्रकरण कमांक 105/स्व0निग0/03–04 में पारित आदेश दिनांक 28.2.04 से वाद भूमि शासन के हित में वेष्ठित की गई है। इसक्रे बाद कलेक्टर पन्ना के पत्र दिनांक 27.3.06 द्वारा यह लिखते हुये कि पटवारी प्रतिवेदन के अनुसार वाद ग्रस्त भूमि पर 2.10.84 को आवेदिका श्रीमती भवानी बाई का कब्जा था, अपर कलेक्टर के प्रकरण में मैं कलेक्टर पन्ना की अनुशंसा के आधार पर विषयांकित प्रकरण में पुनर्विलोकन की अनुमति न्यायहित में इस निर्देश के साथ देता हूँ कि, चूंकि प्रकरण मैं शासन एवं अन्य पक्षकार के मध्य वाद भूमि पर हित का निर्धारण होना है, अतः अपर आयुक्त अपना आदेश समस्त अभिलेखों, साक्ष्यों एवं तथ्यों का स्पष्ट एवं ठोस आधार लेते हुये उभय को समुचित सुनवाई एवं पक्ष समर्थन का अवसर देते हुये। बोलते हुये स्वरूप में पारित करें । सदस्य 4.1.16	